उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(गोपनीय शाखा)

दुरभाष सं0:– 06432-232680 फैक्स– 06432-232967 ई–मेल:– dcdeoghar@gmail.com

आदेश

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है एवं Ministery of Home Affairs (MHA) Order No.-40-3/2020-DM-I(A), Dated-15.04.2020 द्वारा दिनांक– 03.05.2020 तक Lockdown घोषित करते हुए उक्त अवधि में कतिपय छुट दिये जाने की घोषणा की गई है।

Lockdwon अवधि में कतिपय श्रेणी के आवश्यक कार्यों/सेवाओं की श्रेणी के कुछ उद्योगों/प्रतिष्ठानों द्वारा जिला में संचालन की अनुमति देने हेतु आवेदन दिया जा रहा है। Lockdown आदेश में आवेदकों को अलग से किसी प्रकार की अनुमति/आदेश का प्रावधान नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है। जिस उद्योग/प्रतिष्ठान द्वारा कार्य प्रारंभ किया जायेगा, वो विहित प्रपत्र में स्व–घोषणा पत्र (Self Declaration Form में) अनुमति कोषांग, उपायुक्त गोपनीय शाखा, देवघर के Mail Id: permissioncelldgr@gmail.com पर ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। "Self Declaration Form" देवघर जिला के वेबसाईट www.deoghar.nic.in पर पूर्व से ही उपलब्ध है।

जिन श्रेणी के उद्योगों/प्रतिष्ठानों को Lockdown आदेश में संचालन की छूट दी गई है उनमें Social Distancing का अनुपालन करना तथा कर्मियों की सुरक्षा यथा– उनके लिए Mask, Gloves, Sanitizer आदि उपलब्ध कराना तथा कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए पूर्ण सुरक्षित रूप से संचालित किया जाना है।

इस संदर्भ में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–500/गो०, दिनांक–19.04.2020 से Ministry of Home Affairs (MoHA) Order No.- 40-3/2020-DM-I(A), Dated- 15-04-2020 के द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार कार्रवाई करने का निदेश निर्गत किया जा चुका है, तथा सरकार के अपर मुख्य सचिव, योजना एवं वित्त विभाग–सह–अध्यक्ष Lockdown Implementation Task Force द्वारा आहूत बैठक दिनांक–23.04.2020 की कार्यवाही की कंडिका–2 में भी इसका उल्लेख किया गया है, बावजूद इसके अनेकों आवेदन पत्र समर्पित कर अनुमति आदेश की अपेक्षाऐं औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा की जा रही है, जिससे उन्हें भी अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आदेश दिया जाता है कि Ministry of Home Affairs (MoHA) Order No.- 40-3/2020-DM-I(A), Dated- 15-04-2020 के अनुसार दिये गए छूट का अनुपालन करते हुए सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान स्व–घोषणा पत्र (Self Declaration Form में) अनुमति कोषांग, उपायुक्त गोपनीय शाखा, देवघर के Mail Id: permissioncelldgr@gmail.com पर ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने एवं असत्य स्वघोषना करने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा–51 से 60 में वर्णित प्रावधान के अनुसार एक वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों किया जा सकता है अथवा निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में प्रभावितों को जान–माल की क्षति होती है तो दोषी सिद्ध होने पर कारावास की अवधि दो वर्ष के लिये किये जाने का प्रवधान के तहत दण्डित किया जा सकता है। साथ ही, भारतीय दण्ड सहिता (अधिनियम सख्या–45 सन्1860) की धारा–188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि आपके प्रतिष्ठान में सरकारी निदेशों के अनुपालन के बिन्दु पर समय–समय पर Incident Commanders द्वारा निरीक्षण किया जायेगा एवं Social Distancing एवं SOP (Standard Operating Procedure) का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर

ज्ञापांक 663/गो०, देवघर , दिनांक 27 अप्रैल, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, देवघर/अपर समाहर्त्ता, देवघर/अनुमंडल पदाधिकारी–सह–वरीय Incident Commanders,देवघर/मधुपुर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–Incident Commanders देवघर जिला/सभी अंचल अधिकारी, देवघर जिला/जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित आशय की सर्वसाधरण को जानकारी हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर

\\10.92.72.30\dc confidential\health\Corona\Order.docx

Scanned with CamScanner